चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 24.11.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 24.11.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा आगामी त्योहार के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा क्षेत्राधिकारी यातायात श्री राजेश कुमार द्विवेदी की उपस्थिति में यातायात माह नवम्बर-2024 जागरूकता अभियान के अन्तर्गत समाजसेवी श्री रामबाबू गुप्ता जी के सहयोग से बिना हेलमेट लगाकर चलने वाले चालकों को हेलमेट देकर यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा साथ ही साथ लोगो से अपील की गयी कि जीवन की सुरक्षा के प्रति सचेत रहे तथा प्रतिदिन हेलमेट पहनकर वाहन चलाये।

▶ सिग्नल का पालन: ट्रैफिक सिग्नल (लाल, पीला, हरा) का पालन करना आवश्यक है। लाल सिग्नल पर रुकें, पीले पर सतर्क हो जाएं और हरे पर आगे बढ़ें।

▶ स्पीड लिमिट: सड़क पर निर्धारित गति सीमा (Speed Limit) का पालन करें। यह सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर उन जगहों पर जहां लोग ज्यादा होते हैं या दुर्घटनाओं का खतरा होता है।

▶ सुरक्षा बेल्ट का प्रयोग: कार में हमेशा सीट बेल्ट पहनें। यह दुर्घटना के दौरान चोटों से बचने के लिए महत्वपूर्ण है।

▶ हेलमेट का प्रयोग: मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है, यह सिर की चोटों से बचाता है।

▶ राइट ऑफ़ वे: हमेशा यह ध्यान रखें कि यदि आप किसी चौराहे पर हैं, तो कौन-कौन सी दिशा से वाहन आ रहा है और किसे पहले गुजरने का हक है। इससे टकराव और दुर्घटनाएं कम होती हैं।

▶ पैदल यात्रियों को रास्ता देना: यदि पैदल यात्री सड़कों पर हैं, तो उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए, विशेष रूप से जेब्रा क्रॉसिंग पर।

▶ यू-टर्न और पार्किंग: बिना संकेत के यू-टर्न लेना या गलत स्थान पर गाड़ी पार्क करना दुर्घटनाओं को जन्म दे सकता है। सही जगह पर ही गाड़ी पार्क करें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें।

▶ हॉर्न का इस्तेमाल: हॉर्न का प्रयोग सिर्फ तब करें जब जरूरी हो। अनावश्यक रूप से हॉर्न बजाने से ट्रैफिक में खलबली मच सकती है और दूसरे ड्राइवरों को परेशानी हो सकती है।

▶ फोन का उपयोग: गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करें, क्योंकि यह ध्यान भंग करता है और दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है।

▶ नशे में गाड़ी न चलाना: शराब या ड्रग्स का सेवन करके गाड़ी चलाना न केवल कानून के खिलाफ है, बल्कि यह जीवन के लिए भी खतरनाक है।

▶ सीट पर सवारियों का सही तरीके से बैठना: कार के अंदर सभी सवारियों को सीट बेल्ट पहनने के लिए प्रेरित करें और सुनिश्चित करें कि सभी सवारी उचित तरीके से बैठें।

इन नियमों का पालन करने हेतु अपने परिवार वालों को प्रेरित करने की अपील की गई जिससे सड़क पर सभी लोग सुरक्षित रहें।

इस दौरान समाजसेवी श्री राजीव अग्रवाल जी,प्रभारी यातायात श्री शैलेन्द्र सिंह,पीआरओं श्री प्रवीण कुमार सिंह एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहें।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने वारण्टी अभियुक्तों के गिरफ्तार किया।

(i). उ0नि0 श्री इमरान खान मय हमराह आरक्षी प्रकाश मिश्रा व आरक्षी मनीष यादव द्वारा मु0नं0 176/2023 मु0अ0स0 222/2022 धारा 363, 366ए, 376 भादवि0 व 4 पॉक्सो एक्ट के वारण्टी अभियुक्त श्याम मोहन निषाद पुत्र स्व0 लालू प्रसाद निवासी निगहा थाना महेवाघाट जनपद कौशाम्बी को गिरफ्तार किया।

(ii). उ0नि0प्रशिक्षु श्री अभिनव प्रताप सिंह मय हमराह आरक्षी संतोष कुमार द्वारा मु0अ0स0 78/2014 धारा 376,452,323,504,506 भादवि0 के वारंटी अभियुक्त विनय पुत्र बिन्दा निवासी परसौजा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया।

(iii). प्रभारी निरीक्षक सरधुवा आशुतोष तिवारी व उनके हमराही आरक्षी राहुल पुरी व ग्राम चौकीकदार लवकुश द्वारा मु0नं0 2494/2024 मु0अ0स0 145/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम के वारंटी अभियुक्त दयाशंकर पुत्र बुद्धीलाल निवासी ग्राम औदहा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया।

(iv) उ0नि0 श्री मुन्नीलाल मय हमराह आरक्षी धर्मेन्द्र कुमार द्वारा मु0नं0 3291/12 मु0अ0सं0 100/12 धारा 323/504/506 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त गिरजाशरण पुत्र रामकृपाल निवासी हस्ता थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण एवं ब्रिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्रीमती रीता सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अभिनव प्रताप सिंह व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त अरमान सिंह पुत्र भानु प्रताप सिंह निवासी ग्राम तौरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 30 अदद मस्तीहू अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना पहाड़ी पर धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 श्री अभिनव प्रताप सिंह थाना पहाड़ी

2.आरक्षी दीपक सिंह

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थानाध्यक्ष भरतकूप श्री प्रवीण कुमार सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अभिषेक सिंह तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त राजा पुत्र हरी निवासी ग्राम तमोलिया थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना भरतकूप में धारा 03/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

बरामदगीः-

01 अदद तमंचा 315 बोर

01 अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1.उ0नि0 श्री अभिषेक सिंह

2.आरक्षी एहसान अली

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 01 वांछित व 02 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

(i). थानाध्यक्ष प्रवीण सिंह मय हमराह आरक्षी सतीश कुमार द्वारा मु0नं0 701/17 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट के वारण्टी अभियुक्त अवधेश उर्फ देशा यादव पुत्र वासुदेव निवासी कोत्हूबेर मजरा पहरा थाना भरतकूप व मु0नं0 48/15 मु0अ0स0 102/13 धारा 353/504/506 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त चन्द्रशेखर पुत्र गोरेलाल निवासी भगवातपुर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया।

(ii).व0उ0नि0 श्री मनीष कुमार थाना पहाड़ी हमराह आरक्षी आशीष कुमार द्वारा मु0अ0सं0 212/2024 धारा 331(6),74,75(1),(3),351(2) बीएनएस के वांछित अभियुक्त इमाम हुसैन पुत्र रमजान निवासी दुबारी थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(8). आज दिनाँक 24.11.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह की उपस्थिति में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु कर्वी शहर क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र बस स्टैंड, धनुष चौराहा,एलआईसी तिराहा,लक्ष्मणपुरी रोड,भगवानदीन चौराहा,घुस मैदान,पुरानी कोतवाली चौराहा,गंगाजी रोड,चकरेही चौराहा,शंकर बाजार, धतुरहा चौराहा,स्टेशन रोड, कर्वी शहर के विभिन्न गलियों एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त कर रोड पर दुकानदारों द्वारा किये गये तत्पश्चात महोदय द्वारा दुकानदारों, व्यापारी बंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया।